

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 1(4)(1)/नपा/रानिआ/14/1381

दिनांक : 04.02.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय :- नगरपालिका निर्वाचन – अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की बैठक के संबंध में।

संदर्भ:- स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 33841/16.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना द्वारा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 78 में संशोधन किया गया है। नियम 78 अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है। नियम 78 (6) (Xi) में नोटिस का प्रावधान निम्नानुसार दिया गया है:-

Rule 78(6)(Xi) the returning Officer shall affix notice of meeting of elected members on the notice board of the municipality immediately after the expiry of time fixed for withdrawal of candidature stating therein,-

- (a) 10.00 AM to 02.00 PM as the hours of Poll;
- (b) counting of votes shall be made immediately after completion of poll; and
- (c) every contesting candidate, whether he is elected member or not, is entitled to attend the meeting to watch the proceedings of poll and counting of votes. However only elected member is entitled to cast his vote in the meeting.

अध्यक्ष के चुनाव हेतु निर्वाचित सदस्यों की बैठक के लिए नोटिस के प्ररूप में समरूपता रहे इस हेतु संशोधित नियम 78 के लिए आयोग द्वारा प्ररूप तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

यह आदेश आयोग के पूर्व आदेश क्रमांक 4930 दिनांक 11.11.2019 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया जाता है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1382-1387

दिनांक :- 04.02.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।


(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

**नगरपालिका अध्यक्ष (Chairperson)के चुनाव के लिए
सदस्यों की बैठक का नोटिस**

[नियम 78(6)(xi)]

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है:-

1. नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम* के
..... (अध्यक्ष/सभापति/महापौर)* के लिए निर्वाचन कराया जाना है।
2. उक्त चुनाव के लिए निर्वाचित सदस्यों की बैठक दिनांक को नगरपालिका बोर्ड/नगर परिषद/नगर निगम* कार्यालय में आयोजित की जायेगी।
3. मतदान प्रातः 10.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे तक होगा।
4. मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।
5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नहीं, बैठक में उपस्थित होकर मतदान प्रक्रिया और मतगणना देखने का हकदार होगा। तथापि केवल निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचन में मतदान कर सकेंगे।

स्थान:

तारीख: